न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	प्रा0पत्रसं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	36/24	2024/89	21.10.2024	सरकार बनाम जावेद	22.04.2026	1 लगायत 3

पीठासीन अधिकारी :– सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 36/24 (2024/89)

उनवान प्रकरण

1. वेद प्रकाश पूर्विया (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर। – आवेदक

बनाम

1. जावेद पुत्र मोहम्मद जाकीर उम्र 22 वर्ष जाति मुसलमान निवासी वजीरपुर गंगापुर सिटी मैसर्स जावेद मुर्गा मछली सेन्टर , जामा मस्जिद के पास गंगापुर सिटी मों0नं0 7891910899

अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 31 की उपधारा (ii)/58 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनाक 09.07.2024 को 03.55 पी.एम पर मैसर्स जावेद मुर्गा मछली सेन्टर जामा मस्जिद के पास गंगापुरसिटी पर पहुंचा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर उपस्थित विक्रेता जावेद पुत्र मोहम्मद जाकीर से खाद्य विक्रय का खाद्य रजिस्ट्रेशन मांगा जिस पर खाद्य कारोबार कर्ता द्वारा लेबर विभाग का सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया किन्तु खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र प्रस्तुत नहीं किया जिसकी मौका फर्द तैयार की श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर के पत्रांक एफएसएसए/2024/679 दिनांक 15.07.2024 को द्वारा [illegible] खाद्य रजिस्ट्रेशन बनवाकर प्रस्तुत करने हेतु लिखा किन्तु खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र [illegible] नहीं [illegible] किया गया बिना खाद्य रजिस्ट्रेशन के कारोबार करना **food safety and standards A[illegible] 2006.** की धारा 31 की उपधारा **(ii)** का उल्लघन है। जिसका जुर्माना धारा 58 में वर्णित है। [illegible] खाद्य सुरक्षा अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 16:21:41 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

द्वारा समस्त मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/1133 दिनाकमान के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त कंस में न्यायनिलंबन आवेदन फाईल करते हेतु प्राधिकृत किया है। पत्र की प्रति संलग्न आवेदन है।

अभियुक्त द्वारा बिना खाद्य रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार कर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 31 की उप धारा (पप) का उल्लघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एब नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है। अतः उपरोक्त न्याय निर्णय आवेदन श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त मय अधिवक्ता दिनांक 24.03.2025 को न्यायालय हाजा में उपस्थित हुए। अभियुक्त पक्ष को दिनांक 13.05.2025 , 04.06.2025 ,08.08.2025 को जबाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया तथा दिनांक 17.11.2025 ,18.03.2026 को जबाब/बहस सुनाने हेतु समय दिया गया। दिनांक 10.04.2026 को अभियुक्त पक्ष के अधिवक्ता का आगामी दिनांक 20.04.2026 तक अपनी बहस सुनाने हेतु निर्देशित किया गया । दिनांक 20.04.2026 को अभियुक्त पक्ष के अधिवक्ता न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने पर प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी पक्ष ने दौराने बहस निवेदन किया कि अभियुक्त द्वारा बिना खाद्य रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार कर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 31 की उप धारा (ii) का उल्लघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एब नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है।

हमने प्रार्थी पक्ष की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त द्वारा बिना खाद्य रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार पाया गया है। अभियुक्त न्यायालय हाजा में दिनांक 24.03.2025 को जरिये अधिवक्ता उपस्थित हो चुके थे। लेकिन अभियुक्त द्वारा एक साल से अधिक समय हो जाने पर भी अपने पक्ष में कोई राजस्व अभिलेख तथा खाद्य रजिस्ट्रेशन की प्रति उपलब्ध नहीं करवायी है। ना ही अभियुक्त पक्ष द्वारा उक्त खाद्य रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन भी किया हो तो आवेदन की प्रति भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिती में प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतित होता है।

अतः अभियुक्त द्वारा बिना खाद्य रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार करने पर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एब नियम 2011 की धारा 58 तहत जुर्माना राशि 40,000 रूपये (अक्षरे– चालीस हजार रूपये), के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में ज[illegible] 0210–04–800–03–00–25% **STATE SHARE WHICH RECEVIED AGAIN[illegible] LIC[illegible]CE FEE** में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तार[illegible] जाकर निर्देशित किया जाता हैं कि अदम अनुपालना आदेश अभियुक्त के [illegible] अधिकारी, सवाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 16:21:41 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

मु0नं0 36/24 (2024/89) सरकार बनाम जावेद

माधोपुर द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द की जावे तथा साथ ही आयुक्त नगर परिषद् गंगापुर सिटी द्वारा एक माह उपरान्त प्रतिष्ठान सील किये जाने की कार्यवाही की जावे तथा आदेश की तामील तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा करवाई जाकर पालना प्रति न्यायालय में भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 15:21:41 IST
Reason: SelfAttested